

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 385, 386 व 387 / 2015 / चित्तौड़गढ

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्-प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम

मै० सी० कौ० मोटर्स
चित्तौड़गढ

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

**श्री मनोहर पुरी—सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा—सदस्य**

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी,
अधिकृत अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/02/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी—राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलों अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा, के प्रकरण संख्या 43, 44 व 45/वेट/14-15/चित्तौड़गढ में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 24.11.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा द्वारा पारित पृथक—पृथक आदेश दिनांक 03.04.2014 को अपास्त किया गया है।

2. इन तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने से इनका निष्पादन एक निर्णय से किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जायेगी।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—द्वितीय, वृत्-प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा द्वारा आलौच्य वर्षों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर जांच उपरान्त यह पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य वर्षों के दौरान वारंटी रिप्लेशमेन्ट के रूप में मोटर पाटर्स की बिक्री की गई हैं। व्यवहारी द्वारा इस बिक्री को विभाग को रिटर्न में नहीं दर्शाया गया है अतः इन संव्यवहारों के अनुसार व्यवहारी द्वारा अपवंचन किया जाना निर्धारित किया गया। इस प्रकार अपवंचन को ध्यान में रखते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—द्वितीय, वृत्-प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 26, 55, 61, 65 के तहत वाद संस्थित होने पर अपनी अभिशंसा तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार प्रकरण वास्ते निर्णय हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) को स्थानान्तरित किये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट एवं प्रकरण पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य वर्षों के दौरान वारंटी

रिप्लेशमेन्ट के रूप में मोटर पार्ट्स की बिक्री की गई है। व्यवहारी द्वारा इस बिक्री के बदले मैं ० टाटा मोटर्स लि० से प्रतिफल की राशि प्राप्त की गई है। यह बिक्री राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी के करयोग्य पण्यावर्त का ही भाग है, परन्तु व्यवहारी द्वारा इन बिक्रीयों को अपनी लेखा-पुस्तकों में अन्य आय के तौर पर लेखांकित करते हुए विभाग में प्रस्तुत रिटर्न में छिपाया गया है। व्यवहारी द्वारा इन बिक्रीयों पर नियमानुसार देय वेट का भुगतान नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा बिक्री को नियोजि रूप से करापवंचन के उद्देश्य से प्रस्तुत रिटर्न से छिपाये गया है तथा विभाग में गलत रिटर्न प्रस्तुत किये गये हैं। अतः व्यवहारी द्वारा छिपाये गये बिक्री संव्यवहार तथा जानबूझकर गलत बिक्री विवरण प्रस्तुत करने के कारण कारण कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को नोटिस जारी किये। नोटिस की पालना में फर्म की ओर से श्री सत्यनारायण चेचाणी एवं अ.प्र. हंसराज शुक्ला, फर्म लेखाकार कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने अपने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 03.04.2014 प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म की अपीलें स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय के विरुद्ध, अपीलार्थी-राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें पेश की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

अपील सं०	क०नि०वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
385 / 2015	2010-11	2,05,819/-	86,444/-	4,11,638/-	7,03,901/-
386 / 2015	2011-12	4,54,063/-	1,36,219/-	9,08,126/-	14,98,408/-
387 / 2015	2012-13	5,89,083/-	1,06,034/-	11,78,166/-	18,73,283/-

बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी-राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी कं० द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान वांरटी रिप्लेशमेन्ट के रूप में मोटर पार्ट्स की बिक्री की गई है और उक्त बिक्री को विभाग में प्रस्तुत रिटर्न में नहीं दर्शाया गया है। अतः इन संव्यवहारों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्पष्ट रूप से बिक्री का छुपाया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस बिक्री के बदले मैं ० टाटा मोटर्स लि० से प्रतिफल की राशि प्राप्त की गई है। उक्त राशि पण्यावर्त का ही एक भाग है। व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्री पर देय वेट का भुगतान नहीं किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के विरुद्ध उक्त कृत्य को मद्देनजर रखते हुए, आलौच्य वर्षों में कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है वह विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है। उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल किया जावे एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जावे।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी टाटा मोटर का डीलर है। वह अपने वाहनों के विक्रय करने के बाद में जो पार्ट्स डिफेक्टिव में आते हैं, उनको वारन्टी अवधि में रिप्लेस करता है, उन्होंने क्रेता व्यवसाईयों से किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की है, बल्कि कम्पनी से पार्ट्स लिये जाते हैं और क्रेडिट नोट प्राप्त किये जाते हैं जो विक्रय का भाग नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23 टैक्स अपडेट पेज 249 वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मरुधरा मोटर्स, जोधपुर निर्णय दिनांक 16.03.2009 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित मै0 ड्यूनेक मोटर्स प्रा0लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, बीकानेर निर्णय दिनांक 22.01.2008 का हवाला देते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी टाटा मोटर्स का डीलर है एवं उनके द्वारा वारन्टी अवधि में पार्ट्स बदले जाते हैं लेकिन इसके बदले में कीमत क्रेताओं से वसूल नहीं की जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि वारण्टी अवधि में वाहनों के खराब पुर्जों को वाहन निर्माता कम्पनी के अनुबन्ध के तहत प्रत्यर्थी Assessee/व्यवहारी द्वारा बदला गया है, जिसके लिये कम्पनी ने क्रेडिट नोट के जरिये बिना प्रतिफल के दिये गये खराब पुर्जों की राशि का पुर्नभरण किया गया है। वारन्टी अवधि में खराब पुर्जों के बदले नये पुर्जे लगाना वाहन की निर्माता कम्पनी के अनुबन्ध के तहत होता है तथा इसका दायित्व भी वाहन निर्माता कम्पनी का ही होता है यदि वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा खराब पुर्जों के बदले लगाये गये नये पुर्जे बाजार से खरीदे जाते हैं तो उसका कर दायित्व वाहन निर्माता कम्पनी का ही होगा न कि कम्पनी के डीलर का। प्रस्तुत प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा कम्पनी के अनुबन्ध के तहत उपभोक्ताओं के वाहनों के खराब पुर्जे बदल कर नये पुर्जे लगाये गये हैं, जिसके लिए अप्रार्थी व्यवहारी द्वारा उपभोक्ताओं से कोई मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया है। इस कारण खराब पुर्जों के बदले लगाये गये नये पुर्जे पर करदेयता का दायित्व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2004) 2 वेट रिपोर्टर पेज 66 के अनुसरण में वाहन निर्माता कम्पनी का है, न कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में उल्लेख किया गया है कि:-

"As noted above, in a case manufacture may have purchased from the open market parts for the purpose of replacement of the defective parts. For such transactions, it would have paid taxes."

लगातार.....4

इस प्रकार वाहन के खराब पुर्जों को वारन्टी अवधि में बदलने का अनुबन्ध वाहन क्रेताओं के साथ वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा किया जाता है ऐसी स्थिति में वाहनों का डीलर/प्रत्यर्थी व्यवहारी खराब पुर्जों को बदलने में केवल माध्यम का काम करता है। वाहनों की निर्माता कम्पनी द्वारा वाहन क्रेताओं से किये अनुबन्ध के अनुसार खराब पुर्जों को बदलने का दायित्व भी निर्माता कम्पनी का ही होता है। इस प्रकार बदले गये खराब पुर्जों का क्रय अथवा निर्माण भी वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है और इस कारण खराब पुर्जों के बदले क्रेताओं को उपलब्ध कराये गये नये पुर्जों संबंधी संव्यवहार केवल माध्यम का कार्य करने के लिए वाहन डीलर/प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कोई कर भार नहीं डाला जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोधपुर बनाम मरुधरा मोटर्स, जोधपुर 23 टैक्स अपडेट पेज 249 में प्रतिपादित किया गया है कि :—

”This court concludes that credit notes received from manufacturer by the assessee dealer could not be taxed as sale value of spare parts replaced for defective parts under warranty by the manufacturer to the customer”

7. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित मैं
ड्यूनेक मोटर्स प्राइलि० बीकानेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन
बीकानेर निर्णय दिनांक 22.01.2009 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।
इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई बिक्री नहीं की गई। अतः उपरोक्त न्यायिक
दृष्टान्त इन प्रकरणों पर पूर्णतः लागू होते हैं। प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी
द्वारा कर, ब्याज व शास्ति को जो प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपण किया गया
है वह अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को
अपास्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है।

8. फलतः अपीलार्थी—राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है
अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर के
पृथक—पृथक निर्णय दिनांक 24.11.2014 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

23.2.2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य

मनोहर पुरी
03/02/2016

सदस्य